


जवाबदावा/ईकबाल जवाबदावा पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में वादीनी एवं प्रतिवादीगण को जरिये राजीनामें वाद को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

### निर्णय

खेत खसरा नंबर 600/584 रकबा 3.0561 हैक्टेयर रोही सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन कर वादीनी का हिस्सा अलग किया जाकर वादीनी का 4057/30561 हिस्सा (0.4057 हैक्टेयर भूमि) मौका कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन किया जाकर लगान कायम कर तदनुसार नक्श एक्स तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

  
(दिव्या)  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीडूंगरगढ (कानेर)

